न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/2018/1759 विरूद्ध आदेश दिनांक 20-12-2017 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 162/अपील/2016-17.

मायनरिटी गृह निर्माण सहकारी संस्था,
मर्यादित भोपाल
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
अब्दुल कवि अंसारी आत्मज श्री ए0एम0अंसारी
कार्यालय 5/1 औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा
भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-12-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा नरेलाशंकरी तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नम्बर 280/2 रकबा 1.30 एकड़ के संबंध में फास्टट्रेक न्यायालय ग्यारहवें अपर जिला न्यायाधीश भोपाल के नियमित व्यवहार वाद क्रमांक 109-ए/04 के निर्णय दिनांक 17-09-2004 के तारतम्य में प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय विलेख आवेदक द्वारा निष्पादित कराया गया । इस विक्रय विलेख के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक संस्था ने

नामान्तरण किये जाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19-04-2010 को आवेदक संस्था का नामान्तरण आवेदन पत्र निरस्त किया गया । विचारण न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 05-02-2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा अपील अस्वीकार की गई । आयुक्त के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 23-2-2012 से निरस्त किया गया । विचारण न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22-9-2016 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-09-2016 को तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना जॉच पडताल कर पारित किये जाने के कथन करते हुये वर्तमान न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा संहिता की धारा 51 के अंतर्गत पुर्नविलोकन की अनुमति कलेक्टर से चाही गई । कलेक्टर द्वारा दिनांक 07-03-2017 को आदेश पारित कर पुर्नविलोकन की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की गई कि नवीन आदेश पारित करने के पूर्व सभी हितबद्ध पक्षकारों को पक्ष समर्थन का समुचित अवसर दिया जाना अनिवार्य होगा तत्पश्चात् ही पारित आदेश फेरफारित किया जायेगा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23-05-2017 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय मद में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 20-12-2017 को आदेश पारित कर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23-05-2017 अपास्त कियाजाकर कलेक्टर का आदेश दिनांक 07-03-2017 के परिपालन हेतु अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 29 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु स्थानांतरित किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर एवं संहिता की धारा 49 (3) में दर्शित सिद्धांतों की अवहेलना करते हुये आदेश पारित करने में त्रुटि की है जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान दर्शाया गया है कि अपीलीय अधिकार राजस्व अपीलो को स्वयं अंतिम रूप से निपटारे के लिये बाध्य है वे

प्रकरण को पुन: निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित नहीं कर सकते हैं । आयुक्त को अपील का निराकरण स्वयं अंतिम रूप से करना था, किन्तु उन्होंने ऐसा न कर प्रथम अपील न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण गुणदोषों पर सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया जबिक वे स्वयं अपील का अंतिम रूप से निराकरण करने के लिये बाध्य है, ऐसी स्थिति आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वर्तमान प्रकरण उन्हीं के पूर्व पीठासीन अधिकारी के आदेश के अनुपालन हेतु कलेक्टर को प्रेषित करने हेतु भेजा गया था अर्थात उन्हें केवल पोस्ट ऑफिस की भूमिका निभाते हुये प्रकरण को आगे अग्रेषित करना था किन्तु उनके द्वारा ऐसा न करते हुये स्वयें के आदेश की अपील में पारित आदेश को व्यक्तिगत द्वेष के तहत पुर्नविलोकन का प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया एवं कलेक्टर ने प्रकरण की गंभीरता को न समझते हुये अपने कनिष्ठ अधिकारी को पुनर्विलोकन करने की अनुमति प्रदान कर दी, ऐसी अनुमति प्रदान करते समय भी आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया । ऐसी अवस्था में द्वितीय अपीलीय न्यायालय एवं प्रथम अपील के पुनर्विलोकन में पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एक ही अधिकारी है, अत: आयुक्त द्वारा प्रकरण में प्रथम अपील के लिये धारा 29 का उपयोग करते हुये दूसरे पीठासीन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-12-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर